कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

दिनांक :14.07.2021

—:: वाहन आमंत्रण सूचना ::—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ–7(197/1)/ रालसा/ संस्था–किराया वाहन/2021/7869–7899 दिनांक 26.04.2021 व एफ–7(197/3)/ रालसा/ संस्था–किराये वाहन पत्रा./2021/10070 दिनांक 19.06.2021 एवं वित्त विभाग (जी.एण्ड. टी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार 2000 कि.मी. (अधिकतम) प्रति माह रनिंग के लिये रुपये 31350/– (अधिकतम) प्रति माह के मासिक किराये के आधार पर इस कार्यालय (सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार) के लिये दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिये महिन्द्रा बोलेरो अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

उक्त वाहन पूर्णतया अनुबंध के आधार पर लिया जाना है। संबंधित व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता अपना प्रस्ताव वाछिंत दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त वाहन के संबंध अन्य शर्ते इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है एवं कार्यालय समय में कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।

अतः इस विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाता है कि वाहन अनुबंध पर लेने के लिए सर्वप्रथम बोलेरो वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी व बोलेरो वाहन उपलब्ध नही होने की स्थिति मे महिन्द्रा स्कॉर्पियो, महिन्द्रा अरमाडा अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन अनुबंध पर लिए जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता **दिनांक 29.07.2021** तक इस कार्यालय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। उक्त विज्ञप्ति मे इसके पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नः–1 वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्ते ।
2 प्रस्ताव पत्र ।

14-7-2021
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कोटा

क्रमांक 2927-2930
दिनांक :14.07.2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ

1. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा/न्यायालय परिसर, कोटा/जिला कलेक्ट्रेट, कोटा/सुचना केन्द्र, कोटा
2. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, कोटा
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा वास्ते अपलोड किये जाने हेतु।
4. जिला परिवहन अधिकारी,कोटा

14-7-2021
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

दिनांक : 14.07.2021

कार्यालय में महिन्द्रा बोलेरो/महिन्द्रा स्कॉर्पियो/महिन्द्रा अरमाडा अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्ते

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के लिये एक चार पहिया वाहन महिन्द्रा बोलेरो अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन को मासिक आधार पर किराये पर लेने के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 19/07/2018 एवं No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 31/03/2021 में दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तो के तहत उपलब्ध कराएगा :–

1. यह कि उक्त वाहन दिनांक कार्य आदेश की दिनांक से 31.03.2022 तक की अवधि के लिये मासिक आधार पर किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उक्त वाहन को अवधि से पूर्व भी 7 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
2. महिन्द्रा बोलेरो वाहन अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन किराये पर लेने के लिये अधिकतम 2000 कि.मी. प्रतिमाह रनिंग के लिए अधिकतम मासिक भुगतान 31350/– किया जायेगा। रूपये 31350/– के अतिरिक्त सेवा कर (यदि लागू हो तो) अतिरिक्त जमा किया जायेगा।
3. यदि किसी माह में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. नहीं चल पाया है तो भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

   अ. प्रथम 1500 कि.मी. तक और 1500 कि.मी से कम होने पर भी भुगतान रूपये 26400/– किया जायेगा।

   ब. एवं 1500 कि.मी. के अतिरिक्त रूपये 10/– प्रति कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
4. वाहन कोटा जिले के बाहर राजस्थान राज्य में अन्य किसी दूसरे जिले में वाहन ले जाने पर ड्राईवर को 300/– रूपये प्रति रात्रि पडाव भुगतान किया जायेगा। वाहन को जयपुर स्थित मुख्यालय पर ले जाया जाने पर किसी भी तरह का रात्रि पडाव भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. टोल टेक्स का भुगतान सर्वप्रथम ड्राईवर द्वारा किया जायेगा एवं माह के अंत में सभी टोल टेक्स की रसीदे कार्यालय में प्रस्तुत करने पर वाहन मालिक को पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा।
6. वाहन मालिक को मासिक भुगतान नियमानुसार ऑनलाईन या चैक के माध्यम से किया जाएगा।
7. यह कि यह वाहन वातानूकुलित होगा और यदि किसी समय वातानूकुलन में खराबी पाई जाती है तो वाहन मालिक वातानूकुलन खराबी को अविलम्ब सही करवाएगा।
8. यह कि वाहन मालिक वाहन के सीटों का कवर सफेद रखेगा। जब सीट कवर गंदे हो जाए तो

उनकी धुलवाई वाहन मालिक पक्षकार द्वारा करवाई जाएगी।

9. वाहन मालिक वाहन के अन्दर सदैव प्राथमिक चिकित्सा किट रखेगा।
10. यह कि वाहन के अन्दर सदैव वाहन के आवश्यक उपकरण जैसे जैक, जैक पाना होगा तथा एक अतिरिक्त स्टेपनी उपलब्ध रहेगी।
11. यह कि वाहन मालिक वाहन को सदैव मेन्टेन अवस्था में रखेगा वाहन को मरम्मत के लिए भेजा जाने पर वाहन मालिक कार्यालय को अविलम्ब दूसरा वाहन जो कि टेक्सी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये उपलब्ध कराया जाएगा तथा वाहन रास्ते में खराब होने पर वाहन मालिक वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारी, स्टाफ को नियत स्थान पर पहूचांने के लिये दूसरे वाहन का अविलम्ब बंदोबस्त करेगा। ऐसा दूसरा वाहन इसी प्रकार या बेहतर कन्डीशन में होगा।
12. वाहन मालिक द्वारा भेजा गया वाहन चालक धुम्रपान व मद्यव्यसनी नहीं होगा। यदि किसी भी समय वाहन चालक वाहन चलाने के दौरान मद्यावस्था में पाया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी। वाहन मालिक यह दायित्व स्वीकार करेगा है कि वाहन चालक अपना व्यवहार मर्यादित तथा न्यायपालिका की गरिमा के अनुरुप रखेगा तथा समस्त यातायात संबंधी नियमों का पालन करेगा। परिचालन के दौरान वाहन चालक सदैव स्वच्छ ड्रेस मे रहेगा।
13. यह कि वाहन पूर्णतया बीमित होगा। बीमा व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाऐगा। यह कि वाहन संबंधित सारे अन्य कर वाहन मालिक द्वारा वहन किये जाऐंगे।
14. यह कि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होगा तथा वह वाहन सेवाओं के दौरान सदैव लाइसेंस धारण करेगा।
15. वाहन किराया अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा अनुबंधित वाहन/वाहन चालक की किन्हीं कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य वाहन/वाहन चालक की व्यवस्था अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य वाहन के उपयोग में लिये जाने पर उस पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण संबंधित अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
16. वाहन प्रतिदिन कार्यालय समय पर व कार्यालय समय के अतिरिक्त भी आदेशानुसार उपलब्ध करवाना होगा।
17. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
18. वाहन की फाइनेन्स की बकाया राशि के भुगतान का दायित्व वाहन स्वामी/चालक का रहेगा। अनुबन्ध की अवधि के बीच मे ऋण की किस्त चुकता न करने पर फाइनेन्स कम्पनी द्वारा वाहन को जप्त करने एवं अन्य कोई संचालन मे बाधा कारित करने पर संविदा तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के दायित्वधीन होगी। वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति मे प्रतिदिवस शास्ति 1000/— आरोपित

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

की जावेगी तथा विभाग किराये से अन्य वाहन लेने की स्थिति मे यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली अनुमादित ठेकेदार से की जा सकेगी।

19. वाहन चालक का भारी वाहन चलाने का लाईसेंस नियमानुसार बना हुआ होना चाहिए।
20. किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र कोटा रहेगा।
21. वाहन टेक्सी परमिट वाला होना आवश्यक है।
22. वाहन का माइलोमीटर चालू स्थति मे रहेगा तथा वाहन संचालन की रोजाना लॉग बुक संधारित कि जावेगी। भुगतान लॉग बुक के इन्द्राज अनुसार ही किया जावेगा।
23. डीजल व पेट्रोल की दरों में वृद्धि होने पर निविदादाता द्वारा दरों में परिर्वतन नहीं किया जावेगा।
24. वाहन चलाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना/क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/वाहन चालक की होगी।
25. वाहन चालक संविदा अवधि मे वाहन को किसी अन्यत्र कार्य मे प्रयुक्त नही कर सकेगा।
26. ड्युटी समय के बाद वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा दाता/वाहन स्वामी/वाहन चालक की स्वयं की होगी।
27. वाहन चालक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दृष्टिदोष नही होने का प्रमाण पत्र समक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त कर प्रेषित करना होगा।
28. अनुबंधित फर्म/व्यक्ति/ वाहन मालिक वाहन में जी.पी.एस. की सुविधा लगायेंगें और उसका Login- id तत्काल इस कार्यालय में Password के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे
29. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 मे उपबंधित के अनुसार व्यक्ति स्वामी/ठेकेदार/फर्म से वाहन को किराये पर लेने पर वार्षिक व्यय की राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Perfomace Security) जमा करानी होगी।